Uttar Pradesh Shasan
Urja Anubhag- 3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 444 /24-P-3-2013, dated 16 March, 2023:

NOTIFICATION

No. 444 /24-P-3-2023
Lucknow; Dated: 10 March, 2023

WHEREAS the sixth proviso to section 14 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) (hereinafter referred to as the "said Act") provides that the Appropriate Commission may grant a licence to two or more persons for distribution of electricity through their own distribution system within the same area, subject to the conditions that the applicant for grant of licence within the same area shall, without prejudice to the other conditions or requirements under this Act, comply with the additional requirements [relating to the capital adequacy, creditworthiness, or code of conduct] as may be prescribed by the Central Government, and no such applicant, who complies with all the requirements for grant of licence, shall be refused grant of licence on the ground that there already exists a licensee in the same area for the same purpose;

AND WHEREAS the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) (Amendment) Rules, 2005 amended by Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) (Amendment) Rules, 2022 which were notified by the Ministry of Power, Government of India vide G.S.R. 690(E) dated 8th September, 2022 empower the Appropriate Government to notify an area as a "minimum area of supply" for the purposes of grant of a licence for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the said Act;

AND WHEREAS the Government of Uttar Pradesh through the Department of IT & Electronics has, in exercise of its executive power under Article 162 of the Constitution of India, issued the Data Centre Policy, 2021 on 28th January, 2021 and its amendment dated 7th November, 2022 (hereinafter referred to as the "said DC Policy");

AND WHEREAS the said DC Policy aims to provide necessary support and enabling framework that is required for developing data center parks in the State of Uttar Pradesh and aims to build a conducive policy environment for the data center industry to flourish in the State of Uttar Pradesh with locational advantage, strong IT ecosystem, and readily employable quality talent, which are some of the key ingredients to make the state a promising destination for investment in the data center industry;

AND WHEREAS Para 6.3 of the said Policy provides that a data center park developer (hereinafter referred to as "the DC Park Developer") under the said Policy

will be an entity responsible for provision of data center essentials, setup and equipment, i.e. electricity, network / fiber connectivity, mechanical electrical and plumbing equipment (MEP), etc.;

AND WHEREAS Para 8.4(iii) of the said DC Policy provides that DC Park Developer(s)/ operator(s) shall be eligible for seeking licence for power distribution and consumption within the data center park as per regulations issued by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) in this regard from time to time;

AND WHEREAS Para 8.4(v) of the said DC Policy provides that 24x7 power supply shall be provided to data center parks and data center units subject to requirement of dedicated power supply feeder being arranged by the data center park/unit;

AND WHEREAS it has become necessary to allow and facilitate DC Park Developers and/or their associates to develop and maintain power distribution infrastructure and procure power, which is a specialized activity for the entire data center park;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Explanation to sub-rule (2) of rule 3 of the Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) (Amendment) Rules, 2005, to give effect to the mandate under Paras 6.3, 8.4 (iii) and 8.4 (v) of the DC Policy, the Governor is pleased to notify each area notified as "data center park" within the State of Uttar Pradesh as "minimum area of supply" for the purposes of grant of a licence for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the said Act.

By order,

(Mahesh Kumar Gupta)
Additional Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्याः ५५५/चौबीस–पी–3–2023–78–02099/76/2022
लखनऊः दिनांक : १० मार्च, 2023

अधिसूचना

चूँकि विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के छठे परन्तुक में उपबंध है कि इस अधिनियम के अधीन अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित अतिरिक्त अपेक्षाओं (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता अथवा आचार संहिता से सम्बन्धित) का अनुपालन करते हुए आवेदक को एक ही क्षेत्र के भीतर, लाइसेन्स प्रदान करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन कि समुचित आयोग दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत वितरण के लिए लाईसेंस प्रदान कर सकता है और ऐसा कोई आवेदक जो लाईसेंस प्रदान करने के लिए समस्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, को इस आधार पर लाईसेंस देने से इनकार नहीं किया जायेगा कि एक ही क्षेत्र में एक ही प्रयोजन के लिए पहले से ही एक लाईसेंसधारी विद्यमान है।

और चूँकि विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम–2022 द्वारा संशोधित विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम–2005, जिसे जी0एस0आर0 690(ई0) दिनांक 08 सितम्बर, 2022 द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, को उक्त अधिनियम की धारा 14 के छठे परन्तुक के निबंधन में समुचित सरकार को एक ही क्षेत्र के भीतर विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ "आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र" के रूप में कोई क्षेत्र अधिसूचित करने का अधिकार देता है;

और चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके डाटा सेंटर नीति–2021 दिनांक 28 जनवरी, 2021 और दिनांक 07 नवम्बर, 2022 को इसका संशोधन जारी किया गया (जिसे आगे "उक्त डाटा सेंटर नीति" कही गयी है);

और चूँकि उक्त डाटा सेंटर नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने के लिए आवश्यक समर्थन और सक्षम ढांचा उपबंध किया जाना है और उक्त नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय अनुकूल परिस्थिति सुस्थिर सूचना प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र और सुगम नियोजनीय गुणपूर्णता कौशल के साथ डाटा सेंटर उद्योग के विकास

के लिए एक साधक नीति वातावरण का निर्माण करना है, जो राज्य को डाटा सेंटर उद्योग में निवेश के लिए आशाजनक गंतव्य बनाने के लिए कुछ प्रमुख तत्व हैं ;

और चूंकि उक्त नीति के पैरा 6.3 में यह उपबंध है कि उक्त नीति के अधीन डाटा सेंटर पार्क विकासकर्ता (जिसे आगे ''डाटा सेंटर पार्क विकासकर्ता'' कहा गया है) डाटा सेंटर के आवश्यक सेटअप और उपस्कर अर्थात विद्युत नेटवर्क/फाईबर कनेक्टिविटी यांत्रिक विद्युतीय और प्लम्बिंग उपस्कर (एम0ई0पी0) आदि के उपबंध के लिए उत्तरदायी इकाई होगी;

और चूंकि उक्त डाटा सेंटर नीति के पैरा 8.4 (तीन) में यह उपबंध है कि समय–समय पर इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार डाटा सेंटर पार्क विकासकर्ता (विकासकर्ताओं)/आपरेटर (आपरेटरों) डाटा सेंटर पार्क के भीतर विद्युत वितरण और उपभोग हेतु लाइसेंस मांगने हेतु पात्र होंगे;

और चूंकि उक्त डाटा सेंटर नीति के पैरा 8.4(पॉच) में यह उपबंध है कि डाटा सेंटर पार्क/इकाई द्वारा व्यवस्था की जा रही विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति फीडर की आवश्यकता के अध्यधीन डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाईयों को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपबंधित की जायेगी ;

और चूँकि डाटा सेंटर पार्क विकासकर्ता और/अथवा उनके सहयुक्तों को विद्युत वितरण अवसंचरना को विकसित करना और उसे बनाये रखना तथा विद्युत प्राप्त करने की अनुमति देना और सुकर बनाना आवश्यक हो गया है, जो कि सम्पूर्ण डाटा सेंटर पार्क के लिए विशिष्ट क्रिया कलाप है;

अतएव, अब डाटा सेन्टर नीति के पैरा 6.3, 8.4 (तीन) और 8.4 (पाँच) के अधीन आदेश को प्रभावी करने के लिये विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षाएं और आचार संहिता) (संशोधन) नियम–2005 के नियम 3 के उप नियम (2) के स्पष्टीकरण के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 14 के छठे परन्तुक के निबंधन में एक ही क्षेत्र के भीतर विद्युत वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ''डाटा सेंटर पार्क'' के रूप में अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र को ''आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र'' अधिसूचित करती है।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

4– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

5– प्रबंध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/प्रबंध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

6– सचिव, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, गोमतीनगर लखनऊ।

7– निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश गोमतीनगर लखनऊ।

8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण सहित इस निदेश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट उ0प्र0 में विधायी परिशिष्ट भाग–4 (खण्ड–ख) के आगामी अंक में प्रकाशित कराने तथा उसकी 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव